सहयोग पोर्टल

स्रोत: द हिंदू

एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ **उच्च न्यायालय** में मुकदमा दायर किया है, जिसमें **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000** की **धारा 79** और हाल ही में लॉन्च किये गए **सहयोग पोर्टल** के माध्यम से कथित **सेंसरशिप एवं कंटेंट विनियमन** को चुनौती दी गई है।

- एक्स ने तर्क दिया कि **कंटेंट विनियमन आदेश** केवल **IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A** के तहत जारी किये जाने चाहिये।
- **सहयोग पोर्टल: सरल अनुपालन** और **सुरक्षित साइबरस्पेस** के लिये **सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों** के बीच **सहयोग बढ़ाने** के लिये **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है।
  - यह **विधिविरुद्ध कंटेंट की रिपोर्टिंग और निष्कासन** को सुव्यवस्थित करता है तथा **IT अधिनियम, 2000** के तहत कानून प्रवर्तन से डेटा अनुरोधों को सुविधाजनक बनाता है।
  - यह **अधिकृत एजेंसियों (जैसे पुलिस) और मध्यस्थों** को एक ही मंच पर एकीकृत करता है, जिससे **अवैध डिजिटल गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही** सुनिश्चित होती है।
- **IT अधिनियम की धाराएँ:**
  - **धारा 69A:** यह **केंद्र** को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिये विशिष्ट परिस्थितियों में **ऑनलाइन कंटेंट तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध** करने का अधिकार देती है।
  - **धारा 79:** यह **ऑनलाइन मध्यस्थों** को **"सेफ हार्बर" संरक्षण** प्रदान करती है, तथा यदि वे तटस्थता से कार्य करते हैं तो उन्हें तीसरे पक्ष की विषय-वस्तु के लिये उत्तरदायित्व से संरक्षण प्रदान करती है।
    - **धारा 79(3)(b)** के तहत, यदि मध्यस्थ अनुचित कंटेंट से संबंधित नोटिस पर **शीघ्र कार्यवाही करने में विफल रहते हैं तो वे इस प्रतिरक्षा को खो देते हैं।**

और पढ़ें: सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sahyog-portal